न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 30/2023 (धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/34)

1. प्रहलाद
2. विष्णुसिंह } पुत्रगण स्व0 महावीरसिंह
3. सुलेखा पत्नी प्रहलादसिंह } जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।

............अपीलान्ट

बनाम

1. देशराजसिंह
2. लक्ष्मनसिंह
3. हरीसिंह } पुत्रगण स्व0 रामभरोसी जाति जाट निवासी ग्राम तुहिया तहसील व जिला भरतपुर।
4. तहसीलदार भरतपुर।

.... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी भरतपुर मु0नं0 28/2022 देशराज सिंह बनाम सरकार दिनांक 1312.2022 (136 एल आर एक्ट)

उपरिथतिः–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलान्ट।
2. श्री गोविन्द सिंह डागुर वकील रैस्पोडेन्ट।
3. राजकीय अधिवक्ता।

(मुहर: संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर)

निर्णय

दिनांकः– 4.7.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 13.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 है0 वाकै ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर में स्थित है। यह आराजी प्रार्थीगण के पिता स्व0रामभरोसी के कब्जे काश्त खातेदारी की रही है। जिसे विरासत में प्रार्थीगण/रैस्पो0 एक लगायत तीन ने प्राप्त किया है। पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा आराजी को रोड सीमा 60 मी0 निर्धारित करते हुये अवाप्त किया गया। जिसकी मुआवजा राशि 47890/– रूपये निर्धारित करते हुये उक्त मुआवजा प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 के पिता रामभरोसी को प्रदान किया तथा आराजी समस्त को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात रोड सीमा 60 मीटर से घटाते हुये 45 मी0 कायम कर दी गई। इसके आधार पर एक नोटिस दिनांक 2.12.1997 को अधिक राशि के भुगतान को वापिस करने का जारी किया गया। उक्त नोटिस के आधार पर प्रार्थीगण/रैस्पो0 1 लगायत 3 के पिता द्वारा राशि 13260/– रूपये जरिये रसीद जमा करा दिये।

(हस्ताक्षर) संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने जिस प्रकार 60 मी0 रोड की अवाप्ति करते हुये आराजी को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज कर दिया उसी प्रकार रोड सीमा 45 मी0 निर्धारित करते हुये बची हुई 4 ऐयर रकबा को सार्वजनिक निर्माण विभाग से हटाकर प्रार्थीगण/रैस्पो0 1 लगायत 3 के पिता के नाम दर्ज नहीं किया जो कि एक लिपिकीय त्रुटी है। क्यों कि जैसे राजस्व कर्मचारियों ने रकबा को सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज किया उसी क्रम में बचे हुये 4 ऐयर रकबे को प्रार्थीगण/रैस्पो0 1 लगायत 3 के पिता रामभरोसी के नाम भी दर्ज करना चाहिऐ। प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 के पिता रामभरोसी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान हम प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 है इसलिऐ अब उक्त 4 ऐयर रकबा पर प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 काबिज है जिसे प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 के नाम दर्ज किया जाना है। अन्त में प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 है0 पर लिपिक त्रुटी को दुरूस्त करते हुये वर्तमान इन्द्राज शुद्ध कर 4 ऐयर रकबा पर प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 के इन्द्राज दर्ज किये जावे व नक्शा में 4 ऐयर रकबा को वतरफ दक्षिण दिशा में तरमीम किया जावे। प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 ने अपने प्रार्थना पत्र की पुष्टि में नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, नामान्तरकरण, रसीद जी–55 संख्या 006/388057, नोटिस भूमि आवाप्ति अधिकारी पीडब्लूडी भरतपुर दिनांक 2.12.1997, गत जमाबन्दी सम्वत 2051–2054, 2055–2059 प्रस्तुत किये। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी भरतपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट आंशिक स्वीकार करते हुये आदेश दिये कि आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 है0 वाकै तुहिया तहसील भरतपुर पर वर्तमान इन्द्राज को दुरूस्त करते हुये 3 एयर रकबा पर प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 के इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाये तथा नक्शा में 3 ऐयर रकबा को वतरफ दक्षिण दशा में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये। इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है, क्योंकि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को न तो कोई नोटिस दिया गया है और न ही कोई सुनवाई का मौका दिया गया। केवल रैसपोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 स्थित ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर के 3 ऐयर रकबे पर दक्षिण भाग में नया नम्बर कायम करते हुये पीडब्लूडी भरतपुर के खाते से कम की जाकर उत्तरवादी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश दिया गया है जो गलत है क्यों कि सडक के लिये पीडब्लूडी विभाग ने आराजी खसरा

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नम्बर 442/0.10 समस्त को व आराजी खसरा नम्बर 443/1/0.1 को अधिग्रहित किया है जो सडक की चौडाई 60 मीटर के स्थान पर 45 मीटर की गई है उससे भी इन खसरा नम्बरान की स्थिति पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ये दोनों नम्बर सडक सीमा में ही हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी राशि के वापसी के आधार पर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। नक्शे में यदि सडक सीमा को देखा जावे तो वह खसरा नम्बर 442/0.10 व 443/1/0.1 की दक्षिणी सतह पर होकर है तथा अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 443/0.7 सडक से चिपटवा है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया और न ही किसी तरह के कोई साक्ष्य या दस्तावेज ही लिया। रिपोर्ट के समर्थन में पटवारी हल्का या तहसीलदार के बयान आदि भी नहीं लिए गए। बिना किसी परीक्षण के अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 443/0.7 व 438/0.24 को पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। खसरा नम्बर 443/0.7 पर सडक के चिपटेवा कब्जा प्राप्त किया है वर्तमान में भी अपीलान्ट का कब्जा सडक से सटवां है तथा मौके पर खसरा नम्बर 443 व सडक के बीच कोई अन्य खसरा नम्बर नहीं है। यदि अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा नोटिस दिया जाता या सुनवाई की जाती तो इस संवंध में स्थिति स्पष्ट कर दी जाती, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं कर खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटी की है। उत्तरवादी संख्या 1 से 3 ने पीडब्लूडी में रकम वापिस करना वताया है वह राशि खसरा नंवर 644/0.3 के बदले में करायी गई है। विवादित भूखण्ड खसरा नम्बर 442/0.10 के सम्बन्ध में कोई राशि जमा नहीं करायी गई है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में न तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस व इस नोटिस की पालना में जमा कराई गई रसीद की असल प्रति प्रस्तुत नहीं की इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विना मूल दस्तावेज के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इसी प्रकार उत्तरवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित होना होता हो कि उन्हौने खसरा नम्बर 442 के 3 ऐयर की मुआवजा राशि वापिस जमा करायी हो। विना साक्ष्य के मनमाने ढंग से खण्डनाधीन आदेश देने में तहत अदालत ने त्रुटी की है। उक्त प्रकरण में खसरा नंबर 442 व 443 के बीच में किसी तरह का अन्य कोई खसरा नंवर नहीं है, वरन् सड़क से चिपेटवां अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है, परन्तु इस तथ्य को अदालत मातहत द्वारा नजरांदाज करते हुए रैस्पोडेन्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो कि नियम विरूद्ध है। अदालत मातहत ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी तरह की कोई साक्ष्य आदि भी नहीं ली और न ही किसी प्रकार की कोई तनकियात ही कायम की गई, वरन् रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत फोटो कॉपी के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि विधिविरूद्ध है। इस तरह की कार्यवाही नियमित वाद के आधार पर ही की जा सकती है, क्योंकि एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि ही दुरूस्त की जा सकती है। उक्त प्रकरण में लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त नहीं कर नया खसरा नंबर कायम करते हुए नक्शे में तरमीम की है, जो कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 सडक में चली गई है और अपीलान्ट की खातेदारी का रकबा 443 सडक से चिपटेवा है। इसलिए खण्डनाधीन आदेश के बने रहने से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 अपास्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.12.2022 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित है। जिसमें पूर्ण जांच के बाद विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 को पारित किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, क्योंकि उक्त आदेश से अपीलान्ट के किसी प्रकार से कोई हक प्रभावित नहीं हुए हैं। आराजी खसरा नंबर 442 रकबा 0.10 हैक्टेयर रैस्पोडेन्ट के पिता के नाम खातेदारी में अंकित था। उक्त सम्पूर्ण खसरे को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क हेतु अधिग्रहण किया गया था, लेकिन बाद में भूमि अवाप्ती अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त जयपुर के द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 14(3)पीडब्लू/82/3.09.1996 की पालना में रोड़ की सीमा 45 मीटर निर्धारित कर दी गई, जो कि पूर्व में 60 मीटर थी। इस आधार पर मुआवजा राशि 34500 रूपये निर्धारित की गई। अधिक भुगतान की गई राशि 13260 रूपये को वापिस विभाग में जमा कराए जाने हेतु नोटिस रैस्पोडेन्ट के पिता को विभाग की ओर से दिया गया जिसकी पालना में रैस्पोडेन्ट के पिता द्वारा 13260 रूपये विभाग में दिनांक 11.09.1998 को जमा कराए गए। तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उनके समक्ष प्रस्तुत हुए समस्त रिकार्ड का परीक्षण व अवलोकन किया गया। रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के द्वारा तहत अदालत में धारा 136 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर विधिवत प्रकिया अमल में लायी गई वकायदा तहसीलदार भरतपुर से इस संबध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा पत्रांक राजस्व/2022/1633 दिनांक 17.11.2022 से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजी को रोड सीमा हेतु 60 मीटर अवाप्ति के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया। लेकिन बाद में सडक सीमा 45 मीटर निर्धारित करने के बाद तथा अन्तर राशि जमा कराने के उपरान्त भी 15 मीटर रकबे को खातेदार को नहीं दिया गया। सम्पूर्ण रकबा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होने की पुष्टि तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट में संलग्न हल्का पटवारी पटवार मण्डल तुहिया की रिपोर्ट से भी बखूबी ताईद होती है। चूंकि तत्कालीन खातेदार रामभरोसी के आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 है0 से 60 मीटर रकबा सडक सीमा हेतु अवाप्त किया गया था। इसके बाद उसे 45 मीटर निर्धारित कर दिया गया था इस कारण 15 मीटर रकबा छोडने से लगभग 3 ऐयर रकबा को रैस्पोडेन्टस 1 लगायत 3 प्राप्त करने के अधिकारी है। रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 के पिता रामभरोसी के स्वर्गवास होने के बाद उसके वारिसान होने के कारण उक्त रकबा को अपने नाम राजस्व अभिलेख

5.7.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

में दर्ज कराने के हकदार है। इसलिऐ गुणावगुण के आधार पर ही तहत अदालत ने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये रैस्पोडेन्ट 1 लगायत 3 का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुये तहसीलदार भरतपुर को निर्देशित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 442/0.10 है0 वाकै तुहिया तहसील भरतपुर पर वर्तमान इन्द्राज को दुरूस्त करते हुये 3 एयर रकबा पर प्रार्थीगण/ रैस्पो0 1 लगायत 3 के इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाये तथा नक्शा में 3 ऐयर रकबा को वतरफ दक्षिण दशि में तरमीम किये जाने के आदेश दिये गये जो मौका रिकार्ड के मुताविक होने के साथ—साथ विधि संगत है। उक्त आदेश की पालना की जा चुकी है। जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में खसरा नंबर 2347/442/0.03 कायम किया जाकर जमाबन्दी में दर्ज किया जा चुका है। रैस्पोडेन्टस आज भी उक्त भूमि पर काविज है। अपीलान्ट की आराजी कभी भी रोड के साईड में नहीं रही है और ना ही अपीलान्ट का रैस्पोडेट के खसरा नम्बर 442 से कोई सम्बन्ध अथवा कोई सरोकार है। वास्तव में तहत अदालत ने जो निर्णय किया है वह केवल खसरा नम्बर 442 के संबध में पारित किया गया है अपीलान्ट के खसरा नम्बरों को ना तो कोई छेडछाड हुई है ना ही कहीं निर्णय में उनके बारे में कोई विवेचना की है ना अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के हित प्रभावित हो रहे हैं। खसरा नंबर 443 के बाद 443/1/0.01 एवं उसके बाद 442 खसरा नंबर आजात है जब खसरा नंबर 442 तक 45 मीटर रकबा ही अवाप्त हुआ है तो 443/1 स्वतः ही निरस्त हो गया। जिसके संबंध में गिर्राज सिंह वगैराह ने अधीनस्थ न्यायालय में एल.आर. एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। आराजी खसरा नंबर 442/0.08 गिर्राज सिंह वगैराह का था। उसमें से 0.01 ऐयर अधिग्रहण किया गया था एवं शेष रकबा 0.07 एयर 443 को अपीलान्ट के द्वारा खरीद किया गया है। इस खसरा नंबर से सड़क हेतु कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है। खसरा नंबर 443 का जो रकबा 0.01 सड़क में अवाप्त हुआ है। उसकी चौड़ाई कम होने पर आराजी खसरा नंबर 442 का 0.03 एवं 443/0.01 रकबा मुक्त हो गया है। 443/0.01 के बावत भी गिर्राज सिंह वगैराह ने अवाप्त राशि 2380 रूपये सार्वजनिक निर्माण विभाग को जमा करा दिए थे। इस संबंध में गिर्राज सिंह वगैराह के द्वारा भी अदालत मातहत में कार्यवाही की गई है, जो कि विचाराधीन है। इसलिए खसरा नंबर 443/0.07 जो अपीलान्ट का है। कहीं भी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट परिवेदित नहीं है। इस आधार पर अपील खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही भू राजस्व अधिनियम के तहत की गई है, जो संक्षिप्त कार्यवाही होने से रिकार्ड के आधार पर ही तय की जाती है। इसमें न तो साक्ष्य होती है और न ही तनकियात ही बनाई जाती है। इस प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए न तो तनकियात कायम किए जाने की आवश्यकता थी और न ही स्वतंत्र गवाह के बयान ही लिए जाने आवश्यक थे। इस संबंध में अलग से दीवानी वाद प्रस्तुत करने की भी इसलिए आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्त की गई थी और उनके आदेश से ही वापस भूमि को कम किया गया है व रैस्पोडेन्ट के पिता द्वारा मुआवजे में जो अधिक राशि ली गई थी, उसे भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नोटिस प्राप्त होने के बाद जमा करवा दिया गया

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

था। इसलिए विभाग की ओर से सड़क सीमा कम किए जाने के कारण छोड़ी गई भूमि रैस्पोडेन्ट वापस प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी थे। इसी आधार पर रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत मातहत द्वारा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्ती किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं, जो कि उचित हैं। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा बहस में यह उल्लेख किया गया है कि रैस्पोडेन्ट की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग में खसरा नंबर 442 के संबंध में राशि जमा नहीं कराकर अन्य खसरा नंबर 644 के संबंध में जमा कराई है, परन्तु इसके समर्थन में किसी तरह का कोई दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित राजस्व विभाग से जांच करवाने व रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। चूंकि रैस्पोडेन्ट की पिता की खातेदारी में स्थित भूमि जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी, में से सड़क सीमा अधिसूचना के द्वारा कम किए जाने के कारण भुगतान की गई मुआवजा राशि वापस लौटाए जाने के कारण रैस्पोडेन्ट उनकी खातेदारी में स्थित भूमि को पुनः प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी थे। इसी आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे अदालत मातहत द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार भरतपुर को रिकार्ड व नक्शे में संशोधन करने के आदेश अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 के द्वारा दिए हैं। जिससे न तो अपीलान्ट के व न ही अन्य किसी पक्षकार के हित प्रभावित हो रहे हैं। अपीलान्ट की ओर से आधारहीन तथ्यों पर रैस्पोडेन्ट को परेशान करने की गरज से उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट सरसरी रिपोर्ट है, जिसमें न तो मौका देखा गया है और न ही रोड की सीमा की कोई जांच ही गई। अपीलान्ट की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 442 रोड के चिपटेवां है। रैस्पोडेन्ट की खातेदारी में स्थित खसरा नंबर 443 के बाद नया नंबर बनाये जाने के कारण रैस्पोडेन्ट की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि सड़क के चिपटेवां नहीं है। तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में किसी तरह का कोई नक्शा नहीं बनाया गया और न ही दिशाएं ही अंकित की गई हैं। यदि अपीलान्ट को अदालत मातहत की ओर से सुनवाई का मौका दिया जाता तो वस्तुस्थिति सामने आ सकती थी। रैस्पोडेन्ट की ओर से सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए उक्त विभाग का पक्ष भी अदालत मातहत में प्रस्तुत नहीं हो सका। किसी भी भूमि का कब्जा केवल सिविल वाद के माध्यम से ही दिलवाया जा सकता है, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा कब्जा संभलाए जाने का आदेश दिया है, जो कि विधि विरूद्ध है। इसी प्रकार रैस्पोडेन्ट की ओर से तथाकथित अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि वर्ष 1997 में जमा कराई गई थी, परन्तु रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र वर्ष 2022 में लगभग 25 वर्ष के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया। इस

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तथ्य को भी अदालत मातहत द्वारा नहीं देखा गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा मनन किया गया व अपीलाधीन निर्णय संबंध मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में रैस्पोडेन्ट की ओर से एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत अदालत मातहत में भूमिधारी तहसीलदार भरतपुर को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमें यह इस्तदुआ की गई कि ख़सरा नंबर 442/0.10 में हुई लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त करते हुए 4 ऐयर पर प्रार्थीगण के इन्द्राज दर्ज किए जावें व नक्शा में 4 ऐयर रकबा को बतरफ दक्षिण दिशा में तरमीम किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत द्वारा प्रकरण दर्ज कर तहसीलदार भरतपुर से रिपोर्ट मंगाई गई। जिसमें तहसीलदार भरतपुर की ओर से 17.11.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा उल्लेख किया गया कि आराजी खसरा नंबर 442/0.10 ग्राम तुहिया के खाता संख्या 457 में मकबूजा पीडब्लूडी विभाग का नाम दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 442/0.10 सम्वत 2053 में रामभरोसी पुत्र नत्थी के नाम दर्ज थी। रामभरोसी की मृत्यु होने के कारण इनके वारिसान देशराज, लक्ष्मन, हरिसिंह, पिसरान, रामभरोसी हैं। पीडब्लूडी विभाग द्वारा रोड सीमा 60 मीटर निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 45 मीटर कर दिया गया। मौके पर 45 मीटर रोड सीमा है। पीडब्लूडी विभाग में उक्त खसरा नंबर 442 के द्वारा दी गई मुआवजा राशि से संबंधित रसीद संलग्न है। जिससे ज्ञात होता है कि पूर्व में रोड सीमा 60 मीटर की गई तत्पश्चात 45 मीटर कर दी गई, जिससे मुआवजा राशि पुनः पीडब्लूडी विभाग को रामभरोसी पुत्र नत्थी द्वारा लौटाई गई। रिकार्ड में पीडब्लूडी विभाग द्वारा रोड सीमा 45 मीटर कर दी गई है, परन्तु नक्शे में तरमीम नहीं हुई है और पूरा खसरा नंबर 442/0.10 पीडब्लूडी विभाग के नाम दर्ज है, जो कि रोड सीमा निर्धारित करते हुए बची हुई जमीन 0.04 हैक्टेयर है। मौके पर बबूल आदि झाडियां लगी हैं। जिसके पीडब्लूडी विभाग में दर्ज होने से पूर्व रामभरोसी पुत्र नत्थी जाट के नाम दर्ज थी। उक्त रिपोर्ट के साथ खातेदार रामभरोसी की ओर से जमा कराई गई रसीद व सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस दिनांक 02.12.1997 की प्रति प्रस्तुत की गई। इसके अलावा रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में खसरा नंबर 442 की सम्वत 2051–2054 व 2055–59 की जमाबन्दी की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा उपरोक्त रिपोर्ट व रिकार्ड के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 को पारित किया है, जो कि उचित प्रतीत होता है, क्योंकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से रैस्पोडेन्ट के पिता रामभरोसी की खातेदारी में स्थित भूमि को सड़क निर्माण हेतु अवाप्त किए जाने, सड़क सीमा 60 मीटर से 45 मीटर किए जाने के कारण मुआवजे के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि 13260 रूपये वापस जमा कराए जाने के संबंध में रामभरोसी पुत्र नत्थी को जारी किया गया नोटिस व इस नोटिस की पालना में रैस्पोडेन्ट के पिता रामभरोसी की ओर से अधिक प्राप्त हुई मुआवजा राशि जमा कराए जाने की रसीद पेश की गई है। दूसरी ओर अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में जो अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की गई है। उसमें यह उल्लेख किया गया है कि नक्शे में यदि सड़क

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

सीमा को देखा जाए तो खसरा नंबर 442/0.10 व 443/1/0.1 के दक्षिणी सतह पर होकर है तथा अपीलान्ट की खातेदारी के आराजी खसरा नंबर 443/07 सड़क से चिपटेवां है। मौके पर खसरा नंबर 443 व सड़क के बीच कोई अन्य खसरा नंबर नहीं होने, रैस्पोडेन्ट की ओर से खसरा नंबर 644/0.3 के बदले मुआवजा राशि जमा करवाए जाने आदि का उल्लेख करते हुए अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किए जाने हेतु अपील पेश की, परन्तु इस तरह की कोई रिपोर्ट, रिकार्ड या दस्तावेज अदालत हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे की यह स्पष्ट होता हो कि रैस्पोडेन्ट की ओर से खसरा नंबर 442 की बजाय 644 के संबंध में मुआवजा राशि जमा कराई गई थी। दूसरी ओर रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस व इसकी पालना में जमा कराई गई रसीद की प्रति प्रस्तुत की है तथा पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी यह उल्लेख किया गया है कि खसरा नंबर 442 रकबा 0.10 हैक्टेयर पीडब्लूडी विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विभाग की ओर से रोड सीमा 60 मीटर से घटा कर 45 मीटर किए जाने, मौके पर 45 मीटर रोड सीमा होने, कम की हुई भूमि की नक्शे में तरमीम नहीं होने मौके पर 0.04 हैक्टेयर जमीन शेष होने जिसमें बबूल आदि झाडियां लगी होने व पीडब्लूडी विभाग के नाम दर्ज होने से पूर्व रामभरोसी पुत्र नत्थी जाट के नाम दर्ज होने का उल्लेख किया गया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उनकी पिता की खातेदारी में स्थित भूमि जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु अवाप्त किया गया था की रोड़ सीमा कम किए जाने व प्राप्त की गई अधिक मुआवजा राशि वापस जमा कराए जाने के कारण शेष भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज किए जाने व नक्शे में तरमीम किए जाने का अनुतोष अदालत मातहत से एल.आर.एक्ट की धारा 128 व 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाहा था, जिसमें अपीलान्टस के विरूद्ध किसी प्रकार को कोई अनुतोष न तो चाहा गया और न ही अदालत मातहत द्वारा कोई अनुतोष अपीलान्ट के विरूद्ध प्रदान किया गया। एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो किसी तरह का कोई साक्ष्य लिए जाने के आदेशात्मक प्रावधान है और न ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुए रिकार्ड को प्रदर्श कराने की आवश्यकता है। उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 को पारित किया है। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय की पालना भी हो चुकी है, जिसकी पुष्टि रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत रिकार्ड से भलीभांति हो रही है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.12.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 4.7.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर